



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, ०२ जुलाई, २०१४ ई०

आषाढ़ ११, १९३६ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183 / XXXVI(3) / 2014 / 40(1) / 2014

देहरादून, ०२ जुलाई, २०१४

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- संक्षिप्त नाम और 1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम संख्या 2. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क निकाल दी जायेगी।
 21 सन् 1860
 की धारा 5-क
 का निकाल
 जाना

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
 प्रमुख सचिव।

No. 183/XXXVI(3)/2014/40(1)/2014

Dated Dehradun, July 02, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘the Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Bill 2014” (Adhiniyam Sankhya 23 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT, 2014

(Uttarakhand Act No. 23 of 2014)

An

Act

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttarakhand State.

It is hereby enacted by the Uttarakhand Assembly in the Sixty-Fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2014.
(2) It shall come into force at once.

Omission of section 5-A of Act no. 21 of 1860 2. Section 5-A of the Societies Registration Act, 1860 shall be omitted.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.